

**ग्राम पंचायत बहरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक**

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बहरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती रिमा देवी	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती कान्ता देवी	23.1.16 से लगातार

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री रोशन लाल	1.4.14 से 20.8.14
2	श्री देस राज सकलानी	21.8.14 से 19.10.14
3	श्री देस राज	20.10.14 से 26.12.16
4	श्री राज कुमार	27.12.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत बहरी के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही तथा बैंक के अन्तःशेष में अन्तर	0.08
2	4.2	बैंक खातों का रोकड़ बही से मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.12
4	6	अनुदानों का उपयोग न करना	13.37
5	7	औपचारिकताओं के बिना क्रय करना	0.29
6	8	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.45
7	10	निर्माण सामग्री (बजरी) के क्रय पर अधिक भुगतान	0.03
8	11	व्यय से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न करवाना	1.56
9	12	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	0.02

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत बहरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सन्तोष कुमार क०ले०प० द्वारा दिनांक 13.11.17 से 16.11.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गया:—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	06 / 14	03 / 15
2015—16	03 / 16	09 / 15
2016—17	03 / 17	12 / 16

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेशन शुल्क:-

ग्राम पंचायत बहरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेशन शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेशन शुल्क की राशि को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेशन अध्याचना संख्या 02 दिनांक 16.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बहरी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व: स्रोत:- ग्राम पंचायत बहरी द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	(-) 8176.33	37435	29258.67	12004	17254.67
2015-16	17254.67	14777	32031.67	4450	27581.67
2016-17	27581.67	41179	68760.67	19062	49698.67

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत बहरी द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014-15	159176.33	2129980	2289156.33	2054522	234634.33
2015-16	234634.33	2847440	3082074.33	2291998	790076.33
2016-17	790076.33	4476507.71	5266584.04	3929324	1337260.04

4.1 दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹8300 का अन्तर:-

स्व: स्रोत:-

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही का अन्तशेष 49698.67

अनुदान:-

दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष 1337260.04

कुल योग ₹1386958.71

दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों का शेष (संलग्न परिशिष्ट-II) 1378658.71

अन्तर 1378658.71-1386958.71 (-) ₹8300

समय पर रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को बैंक खातों में रोकड़ बहियों की तुलना में ₹8300 कम पाये गए तथा अन्तर्शेष का मिलान करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 001 दिनांक 15.11.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया। अतः अन्तर के कारणों की जाँच करके मिलान किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:—

ग्राम पंचायत बहरी की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत राजस्व/स्व:स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट III** के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत के राजस्व/गृहकर ₹12450 की वसूली शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान ₹13.37 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट—I** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1337260 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम

अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) और 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ (निविदाएँ इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-IV** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹28819 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जोकि नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 ₹0.45 लाख की क्रय सामग्री की प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम-2002 के नियम 69, 70 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण सम्बन्धी औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **(परिशिष्ट-v)** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹44776 की क्रय की सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 देय तिथि पर बिजली का भुगतान न करना परिणामस्वरूप सरचार्ज के रूप में अनियमित भुगतान:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा देय तिथि पर बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निम्न मामलों में विलम्बित भुगतान के कारण सरचार्ज के तौर पर ₹69 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को हुआ, जिसे पंचायत निधि पर उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः सरचार्ज के रूप में भुगतान किये गए ₹69 की वसूली उचित प्रभार नहीं ठहराया जा सकता। अतः सरचार्ज के रूप में

भुगतान किये गये ₹69 की वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा भविष्य में, देय तिथि पर बिजली के बिलों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये।

वा0सं0/माह खाता सं0 बिल सं0 राशि देय तिथि भुगतान की तिथि सरचार्ज

18.3.15	TNC-19	510940	1321	17.3.15	10.4.15	33
18 माह 09/16	-do-	935743	1941	17.8.16	6.9.16	36
कुल योग						₹69

10 निर्माण सामग्री के क्रय पर ₹3474 का अधिक भुगतान:-

पंचायत द्वारा निम्न मामलों में निर्माण सामग्री का क्रय करने के दौरान बजरी के क्रय के लिए तीन फर्मों से भाव दरें आमन्त्रित की गईं जोकि इस प्रकार थी:-

क्र0सं0	फर्म का नाम	दर	
1	मै0 जगदीश चन्द	877	प्रति घन मीटर
2	श्री गंगा राम	600	-यथोपरि-
3	श्री कर्मचन्द	980	-यथोपरि-

श्री गंगा राम की दर निम्नतम होने के बावजूद मै0 जगदीश चन्द से उनकी दरों पर आधारित क्रय किया गया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ₹3474 का अधिक भुगतान हुआ जिसकी वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	वा0सं0/माह	बजरी का मात्रा	भुगतान राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	47 माह 03/17	6.84 घन मीटर	6.84X877=5999	6.84X600=4104	1895
2	56 माह 03/17	3.42 -यथोपरि-	3.42X877=2999	3.42X600=2052	947
3	59 माह 3/17	1.14 -यथोपरि-	1.14X877=1000	1.14X600=684	316
4	63 माह 03/17	1.14 -यथोपरि-	1.14X877=1000	1.14X600=684	316
कुल योग					₹3474

11 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत किये भुगतान का अभिलेख उपलब्ध न करवाना:-

चयनित मास 12/16 के व्यय का अंकक्षण करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 23 से 35 के अन्तर्गत निम्न व्यक्तियों को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण करने के लिए ₹12000 प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया गया परन्तु भुगतान की पावतियों के अलावा कोई भी अभिलेख अंकक्षण में उपलब्ध नहीं हुआ तथा बताया गया कि सभी अभिलेख खण्ड विकास कार्यालय में है। आवश्यक अभिलेख के बिना इन भुगतानों की यथार्थता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक अभिलेखों का अनुरक्षण पंचायत स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाये अन्यथा कुल भुगतान की गई ₹156000 को उचित स्रोत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाये भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित है।

क्र०सं०	नाम
1	श्री राज कुमार सुपुत्र श्री तुलसी राम
2	श्री हाडू राम सुपुत्र श्री माढू राम
3	श्री जय सिंह सुपुत्र श्री गोवर्धन
4	श्री कालीदास सुपुत्र श्री सोंहन सिंह
5	श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री गोविन्द
6	श्री संजय कुमार सुपुत्र श्री तुलसी राम
7	श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री ईश्वर दास
8	श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री नोता राम
9	श्री किशोर चन्द सुपुत्र श्री जयन्ती
10	श्रीमती सफेदू देवी पत्नी श्री मसदी
11	श्री दीपा देवी पत्नी श्री सुरेश
12	श्री पवन कुमार सुपुत्र श्री जगत राम
13	श्री खेम सिंह सुपुत्र श्री नारायण सिंह

12 मजदूरी के रूप में ₹1700 का भुगतान:-

खोपू नाला से न्यास नदी तक क्रेट वायर लगाने के कार्य के कार्यान्वयन हेतु जारी किये गये मस्ट्रोल संख्या 6775 (मनरेगा) अवधि 16.11.16 से 29.11.16 के कुल कार्य दिवस गणना सम्बन्धी त्रुटि के कारण 133 दिन के स्थान पर 143 दिन लेने के कारण 10 दिनों का

मजदूरी का ₹170 प्रतिदिन की दर से 1700 का अधिक भुगतान/निकासी हुई जिसे उचित स्रोत से वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवाया जायें।

13 माप पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 104 (2) (ii) तथा 105 के अनुसार पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है, परन्तु ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा अनुरक्षित माप पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन, कनिष्ठ अभियन्ता से नहीं करवाया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गए सभी विकासात्मक कार्यों की माप पुस्तिकाओं में की गई विकासात्मक कार्यों की प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई करके तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों और अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(क) अनुदान रजिस्टर

(ख) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(ग) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर

(घ) प्रतिस्थापना बिल रजिस्टर

(ङ) स्टैम्प रजिस्टर

(च) स्टेशनरी रजिस्टर

(छ) वर्गीकृत सार रजिस्टर

- 16 लघु आपत्ति विवरणिका:—** अंकेक्षण में पाई गई लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।
- 17 निष्कर्ष:—** ग्राम पंचायत बहरी के लेखाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 44 / 2017—खण्ड—1 —2485—2488 दिनांक 09.04.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बहरी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

0177—2620881